विषय सूची

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	प्राक्कथन	iii
राज्य वित्त	मुख्य विशेषताएं	1
	राज्य सरकार के वित्त	2
	वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण	6
	वित्तीय प्रतिवेदन	7
राजस्व क्षेत्र वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 5	**लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	9
	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	9
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	
	मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत इनपुट टैक्स की छूट	10
	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण	13
	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण	15
आर्थिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या–1	मुख्य विशेषताएं	19
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	
	टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली	20
	मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन	22
	मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रख–रखाव	25
	मध्य प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं का वितरण	27
	लेन–देनों की लेखापरीक्षा	30

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक–2	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन	34
	सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा	
	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर में आवंटन एवं आधारभूत संरचना के विकास की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	36
	मध्यप्रदेश के तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में पुर्नगठित, त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	39
	सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, सारणी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड में पर्यावरण मापदण्डों के पालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	43
	लेन–देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां	44
सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या–3	मुख्य विशेषताएं	47
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	
	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली	49
	मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली	52
	समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान	54
	बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन	57
	आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन	60
	शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन	62
	लेन–देन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष	64

प्राक्कथन

इस संक्षेपिका में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राज्य वित्त, राजस्व क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों), सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) एवं सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषयवस्तु एक दृष्टि में प्रस्तुत की गई है। इन प्रतिवेदनों में मध्य प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय लेनदेनों एवं मध्य प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा पर मुख्य निष्कर्ष समाविष्ट किए गए है।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्यपाल की ओर अग्रेषित करते हैं जो उन्हें विधानसभा में पटल पर रखवाते हैं।

विधानसभा में प्रस्तुत राज्य सरकार के लेनदेनों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य वित्त, राजस्व क्षेत्र, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के संबंध में लोक लेखा समिति तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) के संबंध में सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की ओर प्रेषित माने जाते हैं। सरकारी विभागों को समस्त लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः ही की गई कार्यवाही से संबंधित टिप्पणी को समिति को प्रस्तुत करना चाहिए। समितियां विस्तृत जांच हेतु कतिपय कंडिकाओं/समीक्षाओं का चयन करती हैं जिसके उपरांत उनके निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं से युक्त प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट कंडिकाओं/समीक्षाओं के प्रारूप संबंधित विभाग के सचिव की अभ्युक्तियों हेतु उनकी ओर अग्रेषित किए जाते हैं जिससे कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उसमें सरकार के विचार समाविष्ट किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया कि प्रारूप कंडिकाएं यथासंभव शीघ्र

निर्वर्तित की जानी चाहिए तथा संबंधित विभाग की टिप्पणियां छः सप्ताह से अनधिक की अवधि में लेखापरीक्षा को सूचित कर दी जानी चाहिए। बड़ी संख्या में प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में प्रारूप कंडिकाओं पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु विभागों ने संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

इस संक्षेपिका में लेखापरीक्षा में समाविष्ट अधिक महत्वपूर्ण मामलों को केवल सारांश में प्रस्तुत किया गया है। इन दस्तावेजों की विषयवस्तु जहां तक संभव हुआ, मूल प्रतिवेदनों के समतुल्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जबकि प्राधिकृत तथ्यों एवं आंकड़ों हेतु मूल प्रतिवेदनों को देखा जाना चाहिए। विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु जिन अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है उनके नाम एवं दूरभाष क्रमांक पिछले आवरण के अंतर्पृष्ठ पर दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और वित्तीय प्रतिवेदन पर तीन अध्याय समाविष्ट हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस संक्षेपिका में सम्मिलित किया गया है।

मुख्य विशेषताएं

- **राज्य ने वर्ष 2013–14 के दौरान ` 5,879 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2012–13 में 2.53 प्रतिशत से वर्ष 2013–14 के दौरान 2.19 प्रतिशत का सुधार, मुख्यतः सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में उच्चतर संवृद्धि के कारण हुआ।**

- **2012–13 में 12.50 प्रतिषत के विरूद्व 2013–14 के दौरान राजस्व प्राप्ति की वृद्धि 7.56 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों का केवल 54 प्रतिषत राज्य के स्वयं के संसाधनो से आया।**

- **2013–14 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 10.96 प्रतिषत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 72 प्रतिषत था। वेतन एवं मजदूरी, पेंषन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायताएं पर कुल व्यय (` 37,251 करोड़), राजस्व व्यय का 53 प्रतिषत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 74 प्रतिषत था।**

- **वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में राजकोषीय देयताएं (` 96,826 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.47 प्रतिषत है, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम की सीमा के अंतर्गत है।**

- **2013–14 के दौरान, सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों इत्यादि में निवेश पर प्रतिलाभ 2.48 प्रतिषत था जबकि औसत**

उधारी दर 6.84 प्रतिषत थी।

- 2013–14 के दौरान सरकार ने ` 34.32 करोड़ का आधिक्य व्यय किया, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवष्यकता है।
- 31 मार्च 2014 को 36 विभागों से राषि ` 27,373 करोड़ के भुगतान किए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे।
- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी थे।
- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों के साथ 13 विभागों ने वर्ष 2013–14 के लिए राषि ` 50,546 करोड़ के व्यय का मिलान नहीं किया।

राज्य सरकार के वित्त

राजस्व के स्त्रोत

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2009–10 में ` 41,395 करोड़ से 2013–14 में ` 75,749 करोड़ तक 83 प्रतिशत की वृद्धि 16.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि की दर से हुई। 2013–14 के दौरान संवृद्धि दर 2012–13 में 12.50 प्रतिशत के विरुद्ध 7.56 प्रतिशत थी। जबकि 2013–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया जिसमें कर राजस्व (44 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व (10 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 46 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था। कर राजस्व में 2012–13 में ` 30,582 करोड़ से

2013–14 में ` 33,552 करोड़ तक की वृद्धि हुई। करेत्तर राजस्व में, 2012–13 में ` 7,000 करोड़ से 2013–14 में ` 7,705 करोड़ तक ` 705 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः लाभांश एवं लाभ (` 361 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (` 326 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों के कारण हुयी।

राजस्व देयताओं में वृद्धि

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2009–10 में ` 67,853 करोड़ से 2013–14 में ` 96,826 करोड़ तक की वृद्धि हुई। 2013–14 के अंत में ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 21.47 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों की 1.28 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधन की 2.35 गुना थी।

प्रतिबद्ध व्यय

2013–14 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राजसहायताओं पर कुल व्यय (` 37,251 करोड़) राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर व्यय का 74 प्रतिशत था।

ब्याज अदायगियां

2013–14 के दौरान ` 6,391 करोड़ की ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 8.44 प्रतिशत एवं राजस्व व्यय की 9.15 प्रतिशत लेखांकित की गयी।

सरकारी कम्पनियों, निगमों

31 मार्च 2014 को सरकारी कम्पनियों,

आदि को दिये गये कर्जों की वसूली

निगमों आदि को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ` 32,072 करोड़ थे। इन अग्रिमों तथा कर्जों से प्राप्त ब्याज ` 12 करोड़ था जो 2013–14 के बजट अनुमान (` 204 करोड़) से कम था। 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिमों से वसूली ` 93 करोड़ थी।

निवेषों पर प्रतिलाभ

2013–14 के दौरान, सरकार द्वारा 2013–14 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ` 15,275.10 करोड़ पर प्रतिलाभ (` 378.72 करोड़) केवल 2.48 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.84 प्रतिशत थी।

अपूर्ण परियोजनाएं

ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों में 201 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2014 तक किया गया व्यय ` 34,465 करोड़ निष्फल रहा। इनमें से 50 परियोजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत पुनरीक्षित की गई थी जिसमें राशि ` 12,701 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य ने ` 5,879 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा हालांकि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ` 1,580 करोड़ की कमी आई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा

(` 9,882 करोड़) 13वें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ` 462 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2012–13 में 2.53 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.19 प्रतिशत का सुधार मुख्यतः 2013–14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में (19.41 प्रतिशत) उच्चतर संवृद्धि (21.15 प्रतिशत) के कारण हुआ।

व्यय प्रबंधन

2013–14 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (` 69,870 करोड़) में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, 13वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 46.88 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था। 2013–14 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत की कमी आई। 2013–14 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता की जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

देयताओं का प्रबंधन

वर्ष 2013–14 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ` 96,826 करोड़ थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं से अनुपात 21.47 प्रतिशत था जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन के लक्ष्य एवं 13वें वित्त आयोग (36 प्रतिशत) की निर्धारित सीमा के भीतर था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2012–13 में 0.53 से 2013–14 के दौरान 0.35 की कमी आई।

कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की तुलना में उधार ली गयी निधि पर प्राप्त ब्याज

2013–14 के दौरान उधारियों पर 6.84 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.04 प्रतिशत बहुत कम थी।

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

बचतों की समग्र स्थिति

2013–14 के दौरान कुल बजट प्रावधान ` 1,13,550 करोड़ के विरूद्ध कुल ` 90,432 करोड़ व्यय हुए, परिणामस्वरुप ` 23,118 करोड़ की समग्र बचतें हुई। अतः ` 11,088 करोड़ (मूल प्रावधान का 10.82 प्रतिशत) के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए। 21 अनुदानों के अंतर्गत, 27 मदों में प्रत्येक में ` 100 करोड़ से अधिक की कुल ` 12,427 करोड़ की बचतें हुई थीं।

प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवष्यकता है

2013–14 के दौरान ` 34.32 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों से संबंधित ` 740 करोड़ भी अनियमित रहे।

लोक लेखे में निधियों का स्थानांतरण एवं मार्च में व्यय की अत्याधिकता

29 मार्च 2014 को आहरित ` 12.25 करोड़ की केंद्रीय निधि को व्यपगत होने से बचाने के लिए लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था। हमने पाया कि 26 अनुदानों/विनियोगों के 45 प्रकरणों में ` 2,924.65 करोड़ (कुल व्यय का 84 प्रतिशत) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए। इनमें से ` 2,688.01 करोड़ का व्यय माह मार्च में किया गया था

प्रत्याषित बचतें जो कि समर्पित नहीं की गयी या वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को समर्पित की गयी

वर्ष के दौरान कुल बचत ` 23,117.53 करोड़ में से राशि ` 12,538.75 करोड़ (कुल बचत का 54 प्रतिशत) समर्पित की गई। 59 प्रकरणों में ` 7,558.39 करोड़ की बचतें (प्रत्येक में ` 10 करोड़ से अधिक) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थीं, जिससे इन निधियों के अन्य कार्यों में उपयोग हेतु गुंजाईश नहीं बची।

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग एवं समर्पण

26 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ` एक करोड़ या अधिक का पुनर्विनियोग)

निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण भी अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक योजना में ` एक करोड़ से अधिक की बचत/आधिक्य हुए।

वित्तीय प्रतिवेदन

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति में विलम्ब और हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण

31 मार्च 2014 को कुल राशि ` 27,372.73 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 36,414 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया थे। छः स्वायत्त निकायों में से, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने अपनी स्थापना 1997–98 से लेखे प्रस्तुत नहीं किए। राशि ` 28.17 करोड़ की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि 2989 प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था।

व्यक्तिगत जमा खाते

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2014 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खाते में कुल राशि ` 1,784.77 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था।

प्राप्ति एवं व्यय का मिलान न होना

31 मार्च 2014 को 13 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने राशि ` 50,546.04 करोड़ के व्यय का मिलान नहीं किया। वर्ष 2013–14 के दौरान सरकार की कुल ऋणेत्तर प्राप्तियां ` 75,880.88 करोड़ के विरूद्ध केवल ` 23,158.46 करोड़

(31 प्रतिशत) के मिलान पूर्ण किए गए थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्रमांक–5

इस प्रतिवेदन में कर अनिर्धारण/कर निर्धारण के फलस्वरूप राजस्व अवसूली/कम वसूली पर विभागों की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं। तीन समीक्षाओं (1) **''मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत इनपुट टैक्स की छूट''** (2) **''मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण''** (3) **मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण** को भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं और तीन निष्पादन लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव ` 368.07 करोड़ है। शासन/विभागों ने ` 54.64 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से ` 5.94 लाख की वसूली की जा चुकी है।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विगत वर्ष के ` 70,427.28 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ` 74,539.01 करोड़ थी। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य शासन द्वारा अपने स्त्रोतों से वसूल किया गया राजस्व ` 40,047.05 करोड़ (54 प्रतिशत) था, जिसमें से ` 32,342.12 करोड़ कर राजस्व से और ` 7,704.93 करोड़ कर भिन्न राजस्व से थे जो कि विगत वर्ष में क्रमशः ` 30,581.70 करोड़ और ` 7,000.22 करोड़ था। शेष 46 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व तथा खनन प्राप्तियों की 376 इकाईयों के

अभिलेखों की वर्ष 2013–14 के दौरान की गई नमूना जाँच में 5,64,313 प्रकरणों में ` 1267.93 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला । वर्ष के दौरान संबंधित विभागों द्वारा 1,39,791 प्रकरणों में ` 526.24 करोड़ के कम आरोपण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया जो कि वर्ष 2013–14 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये थे। विभागों द्वारा इस वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षो के आधार पर 1,042 प्रकरणों में ` 10.03 करोड़ की वसूली भी की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षाएं

वाणिज्यिक कर

1. ''मध्य प्रदेष वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत इनपुट टैक्स की छूट'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि:

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम और आईटीआर के संबंध में नियम में कमियां

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम और नियम, आगत कर रिबेट के प्रावधानों की कमियों और प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 115 मामलों में ` 16.97 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित छूट ।

(कंडिका 2.4.8.1 से 2.4.8.4)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन किये बिना छः डीलरों के छः मामलों में खरीद के ब्योरे की, बिना पुष्टि किये राशि ` 3.69 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनुमति प्रदान की ।

(कंडिका 2.4.8.5)

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(क) के दिशा निर्देशों के अनुरूप रिटर्न दाखिल किये बिना 26 डीलरों के 28 मामलों में ` 2.28 करोड़ का अमान्य आगत कर रिबेट ।

(कंडिका 2.4.8.6)

खरीद के विवरण के अभाव में आईटीआर की स्वीकृति

खरीद बिल/खरीद विवरण/खरीद सूची के अभाव में 77 डीलरों के 78 मामलों में ` 29.18 करोड़ के आगत कर रिबेट की स्वीकृति/ अनुमोदन ।

(कंडिका 2.4.9)

पिछले वर्ष के आईटीआर की अनियमित स्वीकृति और समायोजन

19 डीलरों के 19 मामलों में पिछले वर्ष के आईटीआर ` 1.81 करोड़ अनियमित रूप से अगले वर्ष में समायोजित किये गये। हालांकि चालू वर्ष में डीलरों द्वारा अपनी पहली तिमाही की विवरणों में आईटीआर का दावा नहीं किया गया था ।

(कंडिका 2.4.10.1)

अपात्र माल की खरीद पर आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति

13 डीलरों के 13 मामलों में मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14(6) के तहत आगत कर के लिए अपात्र माल की खरीद पर ` 2.40 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.1 से 2.4.11.3)

	विनिर्माण प्रक्रिया में सह– उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री पर 13 डीलरों के 13 मामलों में ` 26.65 लाख शास्ति सहित राशि ` 38.65 लाख के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।
	(कंडिका 2.4.11.4)
	नौ डीलरों के नौ मामलों में राज्य से बाहर, बिक्री के स्थान पर, स्टॉक ट्रान्सफर के माध्यम से स्थानांतरित किये गए माल पर शास्ति राशि ` एक करोड़ सहित ` 1.34 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।
	(कंडिका 2.4.11.5)
राज्य उत्पाद शुल्क	
विभाग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को दिया गया अनुचित लाभ	शासन द्वारा खुदरा अनु– ज्ञप्तिधारियों को अनुचित लाभ दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप 34 जिलों में 709 विदेशी मदिरा की दुकानों से ` 39.83 करोड़ के बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।
	(कंडिका 3.5)
निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर और मदिरा की	निर्धारित शुल्क प्राप्त किये बिना/पर्याप्त बैक गारंटी प्राप्त

अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	किये बिना निर्यात/परिवहन की अभिस्वीकृति देने के परिणाम–स्वरूप ` 14.41 करोड़ की वसूली नहीं हुई। *(कंडिका 3.6)*
शास्ति की वसूली न होना	शासन ने 6 विनिर्माताओं पर ` 3.75 करोड़ की शास्ति तो आरोपित की लेकिन भू–राजस्व के बकाया की वसूली के कोई प्रयास नही किये गये। *(कंडिका 3.7)*
स्पिरिट और विदेशी मदिरा का निराकरण न होने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना	स्पिरिट एवं विदेशी मदिरा के स्टॉक के निराकरण की कार्यवाही नहीं होने के कारण ` 71.96 लाख आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना। *(कंडिका 3.8)*

वाहनों पर कर

2. " मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनो पर कर का आरोपण एंव संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

कर का आरोपण एवं संग्रहण	अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष का जीवनकाल पूरा कर चुके 75 वाहनों को मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र पर चलने से प्रतिबंधित करने में विभाग असफल रहा। **(कंडिका 4.4.7.1)**
	चूककर्ता वाहन स्वामियों के

विरूद्ध कोई कार्यवाई न करने के परिणामस्वरूप 270 वाहनों से ` 3.73 करोड़ की शास्ति सहित ` 7.28 करोड़ के कर का कम आरोपण विभाग द्वारा किया गया।

(कंडिका 4.4.7.3)

कर की गलत दर लागू किये जाने के बारे में पता लगाने में कराधान अधिकारी विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप 215 वाहनों पर ` 1.22 करोड़ के कर के अलावा ` 1.28 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकी।

(कंडिका 4.4.7.4)

ऐसे वाहन जिनके उपयुक्तता प्रमाणपत्र अतिदेय हो चुके थे, के पंजीकरण रद्द करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाई नही की गई।

(कंडिका 4.4.7.7)

115 वाहनों के विरूद्ध जारी किये गये ` 1.52 करोड़ के राजस्व वसूली मांग पत्रों के प्रकरणों में विभाग अनुवर्ती कार्यवाई करने में असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.8)

वाहनों पर कर व शास्ति की

कराधान प्राधिकारियों द्वारा 16,562

वसूली न होना

वाहनों में से 1,553 वाहनों की चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर वसूली की कार्यवाही नहीं करने के परिणामस्वरूप ` 2.69 करोड़ शास्ति सहित ` 6.87 करोड़ के मोटर वाहन कर की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 4.6.1)

व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना

जारी किये गये व्यापार प्रमाण पत्रों के विरूद्ध बेचे गये वाहनों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित नही किये जाने के परिणामस्वरूप व्यापार फीस ` 2.19 करोड़ की अवसूली/ कम वसूली हुई।

(कंडिका 4.8)

भू–राजस्व

प्रीमियम एवं भू–भारक का अवनिर्धारण

ग्राम डोंगरपुर (ग्वालियर) स्थित 24.658 हेक्टेअर भूमि पर गलत दर लागू करने से प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण ` 91.75 करोड़।

(कंडिका 5.5)

भू–राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर की राशि ` 2.26 करोड़ मुख्य शीर्ष "0029" भू–राजस्व के अंतर्गत कोषालय में जमा करने के बजाय पंचायत

निधि में जमा की गई।

(कंडिका 5.6)

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

3. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

खनन पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	खदानों की औसत वार्षिक रायल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ` 40.13 करोड़ के मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण किया गया। *(कंडिका 6.2.10)*
मोबाइल टावर के पट्टा विलेखों का निष्पादन एवं पंजीयन न होना	विभाग की निष्क्रियता के कारण मोबाइल टावरों के पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं कराया गया जिससे 44 प्रकरणों में ` 13.92 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण किया गया। *(कंडिका 6.2.11)*
गलत दर का लागू करना	विभाग द्वारा भूमि के विकास के लिये अनुबंध गलत दर पर निष्पादित किये गये जिसके कारण ` 33.63 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण हुआ। *(कंडिका 6.2.12)*
बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	बाजार मूल्य के गलत निर्धारण एवं संदर्भित प्रकरणों के

निराकरण नहीं किये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 13.69 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.2.13)

मुख्तारनामा के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

मुख्तारनामा विलेखों एवं दस्तावेजों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 1.22 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण किया गया।

(कंडिका 6.2.14 एवं 6.2.15)

मुद्रांक शुल्क का कम अधिरोपण तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा में विफलता

आदिवासी व्यक्तियों की ` 11.24 करोड़ की भूमि को गैर आदिवासी व्यक्तियों को ` 3.60 करोड़ में बेचने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ` 21.49 लाख का कम आरोपण हुआ। विभाग आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ` 7.64 करोड़ के भूमि के मूल्य की भी हानि हुई।

(कंडिका 6.2.17)

विकासकर्ता अनुबंध विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भूमि विकास अनुबंधों के 24 प्रकरणों का पंजीयन नहीं कराने के परिणामस्वरूप ` 9.69 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण किया गया।

(कंडिका 6.2.18)

कालोनाइजरों/विकासकर्ताओं द्वारा निष्पादित बंधक विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति

विकास के 99 प्रकरणों में विकास व्यय पर बंधक विलेखों के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ` 10.23 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/ अनारोपण किया गया।

(कंडिका 6.2.19)

खनन प्राप्तियाँ

उत्खनि मदों में अनिवार्य किराये की वसूली न होना/ कम वसूली	625 उत्खनि पट्टो में से 107 उत्खनि पट्टों से अनिवार्य किराये की कम/अवसूली ` 3.05 करोड़। *(कंडिका 7.5)*
संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना	107 प्रकरणों में 43 ठेकेदारों से संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली होना ` 3.01 करोड़। *(कंडिका 7.7)*
राज्यांश की कम वसूली	जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विवरणों की जाँच न किये जाने के परिणामस्वरूप राज्यांश की कम वसूली ` 1.30 करोड़। *(कंडिका 7.8)*
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण/संग्रहण	औसत वार्षिक राज्यांश के अवनिर्धारण एवं अनुबंधों को कम मूल्य के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ` 17.36 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई। *(कंडिका 7.12)*

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र वर्ष 2015 की प्रतिवेदन संख्या 1

इस प्रतिवेदन को तीन अध्यायों में बनाया गया है। इस प्रतिवेदन के आरंभिक अध्याय में लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा, लेखापरीक्षा की आयोजना तथा संचालन, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों तथा लेखापरीक्षा पर शासन के प्रत्युत्तर दिए गये हैं। अन्य दो अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं लेन–देनों की लेखापरीक्षा को समाहित करते हैं।

मुख्य विशेषताएं

- राज्य में वन्य प्राणी सुरक्षा हेतु बाघ संरक्षण आयोजनाएं तैयार नहीं की गई थीं और वन्य प्राणी महत्ता वाले क्षेत्र संरक्षित रिजर्व या अभ्यारण्य घोषित नहीं किए गए थे; मुख्य क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाई गई जिसने वन्य प्राणी के अनुलंघित क्षेत्र को प्रभावित किया; ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चीतलों, और जंगली कुत्तों की संख्या में कमी आई। वन्य प्राणी के सुरक्षा हेतु वायरलैस सेट एवं निगरानी उपकरण बेकार पड़े थे।

- मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलनों को तैयार करने हेतु आवश्यक लेवल बुक, सामग्री सर्वेक्षण और भू–वैज्ञानिक अनुसंधान के अभिलेख संभागों के पास उपलब्ध नहीं थे। कार्य सौंपने से पहले, तकनीकी स्वीकृति या तो प्राप्त नहीं की गई या उपयुक्त सर्वेक्षण के बिना जारी की गई थी। प्राक्कलनों में अस्वीकार्य मदें सम्मिलित की गई थी। कार्यो की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि, रूपांकनो, स्थानों में परिवर्तन इत्यादि के कारण परियोजना लागत में वृद्धि हुई थी।

- लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत और रखरखाव में कमी थी जो सड़कों के चयन हेतु नवीनीकरण चक्र के संधारण न होने, महंगी विशिष्टियों को अपनाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत, विनिर्दिष्ट गुणवत्ता और

मात्रा के बिटुमिन के उपयोग को सुनिश्चित न किया जाना, उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन को टालने हेतु सड़क कार्यों को विभाजित करना, कार्यों के कार्यान्वयन/पूर्ण होने में देरी के दृष्टांतों और ठेकेदारों से निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होने से, प्रतिविंबित हुई।

- पशु पालकों को पशु वितरण की योजनाएं, हितग्राहियों के चयन में पात्रता मानदण्ड को सुनिश्चित न किए जाने, अनुदान जारी होने के बाद भी पशुओं के वितरण में कमी और पशुओं के अस्तित्व का सत्यापन व उनकी मृत्यु की स्थिति में प्रतिस्थापन न होने के कारण प्रभावित हुई। विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार, पशु उत्पाद में वृद्धि व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देष्यों की उपलब्धियों का आंकलन नहीं किया गया था।
- नर्मदा विकास संभाग, खरगोन में ठेकेदार को अविवेकपूर्ण समयवृद्धि प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप ` 12.29 करोड़ की राशि की मूल्य वृद्धि का अदेय भुगतान हुआ।
- लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग छिंदवाड़ा में दो सड़क कार्यो में महंगी विशिष्टि के अवांछित प्रावधान के परिणामस्वरूप ` 2.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

निष्पादन लेखापरीक्षाएं

(i) टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली

वन्य प्राणी (संरक्षण) कानून, 1972 राज्य शासन को, वन्य प्राणी व इनके परिवेश के पर्याप्त महत्ता वाले क्षेत्र को, इसकी सुरक्षा, विस्तार व विकास के लिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान (एन.पी.) या टाईगर रिज़र्व (टी.आर.) घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। नवम्बर 2014 तक, मध्य प्रदेश शासन ने 16,370.288 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए छह टाईगर रिज़र्व, चार राष्ट्रीय उद्यान और 19 वन्य प्राणी अभ्यारण्यों (डब्ल्यू.एल.एस.) को अधिसूचित किया (मई 1955 से अगस्त 2012), जो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 17.29 प्रतिशत है। विभाग की कार्यप्रणाली की एक समीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

वन्य प्राणी के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए आयोजना	वन्य प्राणी और इसके परिवेश को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु आयोजना अपर्याप्त थी क्योंकि बाघ संरक्षण आयोजनाएं/ प्रबंधन आयोजनाएं तैयार नहीं की गईं थीं। बफर क्षेत्र को समाविष्ट करने में विलम्ब थे। सीहोर में नया रातापानी टाईगर रिज़र्व, खण्डवा में एक राष्ट्रीय उद्यान और दो अभ्यारण्य शासन द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए और वन्य प्राणी कॉरीडोर को संरक्षित अभ्यारण्य घोषित नहीं किया गया, जिसने वन्य प्राणी संरक्षण के प्रयासों को प्रभावित किया।
	(कंडिका 2.1.7.1 से 2.1.7.3)
वन्य प्राणी एवं उनके परिवेश का संरक्षण	वर्ष 2006 की तुलना में, 2010 में बाघों की संख्या स्थिर थी। दो अभ्यारण्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चीतलों, भालुओं और जंगली कुत्तों की संख्या में कमी आई। बारहसिंगा का प्रस्तावित विस्थापन नहीं किया जा सका और काले हिरणों के विस्थापन में कार्यकुशलता की कमी अधिक मृत्यु में परिणामित हुई। व्यावसायिक गतिविधियों, मुख्य क्षेत्र में आवासीय अधोसंरचनाओं ने वन्य प्राणी व इनके परिवेश को प्रभावित किया।
	(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.4)
वन्य प्राणी एवं उनके परिवेश की सुरक्षा के लिए गतिविधियॉ	वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं की गई, क्योंकि संरक्षित क्षेत्रों से होकर जाने वाली विद्युत लाइनों का रोधण नहीं किया गया, पशु–चिकित्सा ढाँचा उपलब्ध नहीं था और वायरलैस सेट एवं अन्य निगरानी

	उपकरण बेकार पड़े थे। वन्य प्राणी अपराधों हेतु ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में कमी थी। निर्धारित बीट निरीक्षण नहीं किया गया था।
	(कंडिका 2.1.9.1 से 2.1.9.5)
ईको–विकास गतिविधियाँ	ईको–विकास समितियों के माध्यम से ईको–विकास को सुनिश्चित नहीं किया गया था। जैविक–दबाव को कम नहीं किया जा सका क्योंकि पौधारोपण से जलाऊ लकड़ी का उत्पादन नहीं किया जा सका एवं ग्रामीणों के लिए निस्तार (बिक्री–डिपो) सुविधा स्थापित नहीं की गई थी।
	(कंडिका 2.1.10.1 से 2.1.10.2)

(ii) मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन

राज्य में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, रूपांकन, सर्वेक्षण, निर्माण और रख–रखाव की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के पास है। परियोजना के सही समय पर एवं संस्वीकृत लागत के भीतर पूरा होने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के अचूक तथा यथार्थ प्राक्कलन को तैयार करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में, जल संसाधन के विभागीय (ज.स.वि.) स्रोतों द्वारा वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं के माध्यम से मार्च 2014 तक कुल सिंचाई क्षमता 31.89 लाख हेक्टेयर (हे.) सृजित की गई थी। मध्य प्रदेश में 4,781 पूर्ण (13 वृहद, 110 मध्यम और 4,658 लघु) और 774 प्रगतिरत (09 वृहद, 31 मध्यम और 734 लघु) सिंचाई परियोजनाएं हैं। विभाग ने 31 मार्च 2014 तक 31 प्रगतिरत मध्यम परियोजनाओं पर ` 3,250.44 करोड़ व्यय किए। चयनित प्रगतिरत मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलनों को तैयार करने पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करना एवं	नमूना जांच की गई सभी परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.

अनुमोदन

आर.) को अनुपयुक्त सर्वेक्षण तथा अनुसंधान के साथ या इसके बिना तैयार किया गया था। अनिवार्य विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान को संचालित करना सुनिश्चित किए बिना अपर्याप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर शासन द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(कंडिका 2.2.1)

अभिलेखों का संधारण एवं भू–वैज्ञानिक अनुसंधानों और सामग्री सर्वेक्षण के प्रतिवेदन

विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद अभिलिखित लेवल वाली लेवल बुक, भू–वैज्ञानिक अनुसंधानों और सामग्री सर्वेक्षण के प्रतिवेदन, जो प्राक्कलनों को तैयार करने का आधार होते हैं, संभागों के पास उपलब्ध नहीं थे। कार्यान्वयन के दौरान कार्यों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि (19.54 प्रतिशत से 486.54 प्रतिशत) उचित सर्वेक्षण और अनुसंधान को संचालित किए जाने के बारे में संदेह उत्पन्न करती है।

(कंडिका 2.2.6.1)

प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति

निविदाएं आमंत्रित करने से पहले या तो तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं की गईं या कार्यों को अनुपयुक्त/अपर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर सौंप दिया गया था। बाद में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान रूपांकनो, स्थान, कार्यों की मदों की मात्रा इत्यादि में बाद के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लागत में

` 52.36 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.2.6.2)

प्राक्कलनों में लीड का त्रुटिपूर्ण प्रावधान

कड़ी चट्टान व मिट्टी हेतु लीड एवं चिपकने न फूलने वाली मिट्टी हेतु अतिरिक्त लीड के गलत प्रावधान के परिणामस्वरूप सात परियोजनाओं के प्राक्कलनों में वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2)

अस्वीकार्य मदों, मात्राओं के प्रावधान एवं स्थानीय सस्ती सामग्री का उपयोग न होना

प्राक्कलनों को तैयार करने के दौरान, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्य में चिपकने न फूलने वाली मिट्टी को, इसकी आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य जाँच किए बिना, प्रावधानित किया गया था। दरों की एकीकृत अनुसूची एवं सिंचाई विशिष्टियों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक या अस्वीकार्य मात्राएं एवं मदें सम्मिलित की गईं थीं तथा फिल्टर में उपयोग के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध गिट्टी पर विचार नहीं किया गया था।

(कंडिकाएं 2.2.7.3, 2.2.7.5 एवं 2.2.7.6)

(iii) मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रख–रखाव

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), मध्य प्रदेश शासन, आयोजना, रूपांकन एवं सड़कों और शासकीय भवनों के निर्माण में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, राज्य बजट के माध्यम से वार्षिक मरम्मत की योजना के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत के लिए प्राप्त निधियों का उपयोग करते हुए सड़कों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत एवं रख–रखाव भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाते हैं। विभाग ने 2013–14 तक राज्य में 19,574 कि.मी. मुख्य जिला सड़कों, 7,044 कि.मी. अन्य जिला सड़कों और 17,045 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। 2009–10 से 2013–14 के वर्षों के दौरान, विभाग ने राज्य में सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं नवीनीकरण पर ` 2,697.21 करोड़ का व्यय किया। विभाग द्वारा मरम्मत और रख–रखाव की एक समीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईः

मरम्मत एवं रख–रखाव कार्यों की पहचान	संभागों में नवीनीकरण चक्र और नवीनीकरण आरेखों के विवरण संधारित नहीं किए गए जिससे सड़कों के समयबद्ध नवीनीकरण पर निगरानी रखी जा सके। गारंटी अवधि के अंतर्गत आच्छादित कार्यों एवं अन्य संगठनों को हस्तांतरित कार्य भी नवीनीकरण हेतु विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ***(कंडिका 2.3.7.1)***
महंगी विशिष्टियों को अपनाना	अधिक महंगी विशिष्टियां अपनाने के परिणामस्वरूप 200 सड़कों के नवीनीकरण के लिए ` 29.77 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। ***(कंडिका 2.3.8.1)***

सड़क मरम्मत कार्यों में बिटुमिन का उपयोग	संभागों ने 107 कार्यों के संबंध में ठेकेदारों को ` 30.96 करोड़ का भुगतान किया जिनमें पैक्ड बिटुमिन की आवश्यकता थी परन्तु उनमें या तो बल्क बिटुमिन का वास्तव में प्रयोग किया गया या पैक्ड बिटुमिन के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। संभागों ने बिटुमिनस कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के मूल प्रमाणकों का आवश्यक सत्यापन किए बिना ` 105.26 करोड़ का भुगतान कर दिया। ***(कंडिका 2.3.8.2)***
मरम्मत कार्यों में बिटुमिन की कम खपत	19 सड़क कार्यों में, बिटुमिन का उपयोग निर्धारित खपत मानदंडों की तुलना में कम था और सड़कों पर ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट एवं बिटुमिनस मेकेडम के कार्यान्वयन के पश्चात् सील कोट नहीं कराया गया, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई। ***(कंडिका 2.3.8.3 एवं 2.3.8.4)***
निर्माण सामग्री का लेखाकरण	बिटुमिन, रेत, गिट्टी, मुरम इत्यादि की प्राप्ति एवं निर्गम को दर्शाने वाले लेखाकरण और माप पुस्तिकाओं के संदर्भ लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए, इससे पर्याप्त अभिलेखों का संधारण न होना एवं कार्यों की अनुपयुक्त माप होना इंगित हुआ। ***(कंडिका 2.3.8.9)***
कार्यों का निविदाकरण एवं सौंपा जाना	सड़क निर्माण कार्य तीन या अधिक भागों में विभाजित किए गए थे एवं अलग

अलग सौंपे गए थे तथा इस प्रकार उच्च अधिकारियों द्वारा निविदाओं की स्वीकृति के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को टाला गया और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन से बचा गया था।

(कंडिका 2.3.9.1)

ठेका प्रबंधन में कमियाँ

सड़क कार्यों के संबंध में, तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति और मोटर ग्रेडर का उपयोग होने के साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सके। सड़कों के सरफेस कोर्स की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जॉब मिक्स फॉर्मूला अभिलेखों में नहीं पाए गए।

(कंडिका 2.3.9.2 से 2.3.9.4)

विलंबों के लिए नाममात्र शास्ति का आरोपण

कार्यान्वयन/पूर्णता में ऐसे विलम्ब थे जो ठेकेदारों पर आरोपणीय थे। किंतु ` 1.32 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति को या तो आरोपित नहीं किया गया या कम आरोपित किया गया था।

(कंडिका 2.3.9.5)

(iv) मध्य प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं का वितरण

पशुपालन विभाग के उद्देश्य मानव उपयोग हेतु पौष्टिक पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण जनता को पशुधन उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस के विक्रय के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं नस्ल सुधार हैं। 2009–14 के दौरान, विभाग ने ग्रामीणों को पशु वितरण की छह बड़ी योजनाओं (नन्दीशाला, समुन्नत, डेयरी इकाईयों, बकरा, बकरी इकाई का वितरण और सघन बकरी संवर्धन योजना) के क्रियान्वयन पर ` 86.88 करोड़ का व्यय किया। योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

पात्रता सुनिश्चित किए बिना हितग्राहियों का चयन

कृषकों की आवश्यकता और क्षमता के पात्रता मापदण्ड, जैसा कि योजनाओं के दिशा निर्देशों में निर्धारित था, को सुनिश्चित किए बिना हितग्राहियों का चयन किया गया। पांच योजनाओं के अंतर्गत (बकरी इकाई योजना को छोड़कर) ऐसे किसानों का भी चयन कर लिया गया, जो पात्रता मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे। डेयरी इकाई और बकरी इकाई योजना के 7,844 हितग्राहियों के आवेदन लेखापरीक्षा सत्यापन हेतु जिलों के अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे। बकरा योजना के अंतर्गत, 3,926 हितग्राहियों से चार जिलों के अधिकारियों द्वारा पात्रता मापदण्ड विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार, क्रियान्वयन दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर योजना की निधियां उपयोग की गई थीं।

(कंडिका 2.4.6.1 से 2.4.6.6 तक की उप कंडिकाएं (अ))

पशुपालकों को पशुओं का वितरण

पांच चयनित योजनाओं के अंतर्गत (सघन बकरी संवर्धन योजना को छोड़कर), चयनित कृषकों की बड़ी संख्या (4,672) को पशु प्रदाय नहीं किए गए,

यद्यपि उनके लिए ` 6.53 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था और राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुपयोगी पड़ी रही। इनमें से, 456 हितग्राहियों ने अपने बैंक खातों से अनुदान को आहरित कर लिया, किन्तु पशुओं का क्रय नहीं किया था।

(कंडिकाएं 2.4.6.1(ब), 2.4.6.2(स), 2.4.6.3(ब), 2.4.6.4(ब) एवं 2.4.6.5(ब))

पशुओं के अस्तित्व एवं उनके प्रतिस्थापन के सत्यापन हेतु तंत्र

विभाग के पास वितरित किए गए पशुओं के अस्तित्व एवं प्रजनन अवधि में हुई मृत्यु की स्थिति में, इनके प्रतिस्थापन के सत्यापन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था जैसा कि अनुबंधों की शर्तों में आवश्यक था। तीन योजनाओं (नन्दीशाला, समुन्नत और बकरा योजना) में पशुओं की मृत्यु के दृष्टांत थे, लेकिन कोई प्रतिस्थापन नहीं किया गया।

(कंडिकाएं 2.4.6.1 (स), 2.4.6.2 (द) एवं 2.4.6.4 (द))

बछड़ा जन्म में गिरावट

नस्ल सुधार हेतु नन्दीशाला योजना और समुन्नत योजना के अंतर्गत बछड़ों के जन्म में गिरावट आई। 2009–14 की अवधि के दौरान, निर्धारित मानदंडों के आधार पर बछड़ों के जन्म के लक्ष्य (गायः 4,65,024 और भैंसः 3,76,608) के विरूद्व नन्दीशाला के अंतर्गत वास्तव में 1,55,935 (34 प्रतिशत) और समुन्नत के अंतर्गत 1,20,298 (32 प्रतिशत) बछड़ों का जन्म हुआ था। इस प्रकार, स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधार का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया।

(कंडिका 2.4.6.1(द), 2.4.6.2 (ई))

योजनाओं का परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

योजनाओं के परिवीक्षण में कमी थी क्योंकि समान योजना में समान हितग्राहियों को बहुविध लाभ पहुँचाए गए और चयनित हितग्राहियों को पशुओं का वास्तविक वितरण सुनिश्चित किए बिना भौतिक व वित्तीय उपलब्धियाँ 100 प्रतिशत प्रतिवेदित की गई।

(कंडिका 2.4.7.1 और 2.4.7.2)

लेन–देनों की लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा में उनके द्वारा संसाधनों के प्रबंधन में चूक एवं नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानदंडों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत परिलक्षित हुए।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मूल्य वृद्धि का अविवेकपूर्ण भुगतान

नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मंडलेश्वर, खरगोन में कार्य पूर्ण करने के लिए अविवेकपूर्ण ढंग से समयवृद्धि प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप ` 12.29 करोड़ की राशि की मूल्य वृद्धि का अदेय भुगतान हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदार पर आरोपणीय विलंब के लिए शास्ति का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.1)

विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली न होना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन ने कार्य को पूर्ण करने में विलंब के लिए ` 1.97 करोड़ की क्षतिपूर्ति की राशि को आरोपित नहीं किया एवं ठेकेदार से

वसूल नहीं की यद्यपि कार्यान्वयन में विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय था।

(कंडिका 3.4.1)

कंसल्टेंट को मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, खरगोन ने संविदा की शर्त की गलत व्याख्या कर कंसल्टेंसी प्रभारों के मूल्य वृद्धि की गलत गणना की। इसके परिणामस्वरूप ` 59.07 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.1.2)

लोक निर्माण विभाग

शासकीय धन का गबन

लोक निर्माण संभाग, राजगढ़ द्वारा प्रेषणों और धनादेश आहरणों का कोषालय अभिलेखों से मिलान न करने के कारण ` 9.50 लाख के गबन का पता नहीं चल पाया।

(कंडिका 3.1.1)

उच्चतर विशिष्टि का परिहार्य प्रावधान

लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग, छिंदवाड़ा में दो सड़क कार्यो में भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टियों के प्रावधानों से तुलना में अवांछित महंगी विशिष्टियों का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन में ` 2.45 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.1)

मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान

सड़क कार्य का कार्यान्वयन कर रहे एक ठेकेदार को, कार्यपालन यंत्री, लोक

	निर्माण संभाग (रा.रा.) संभाग, भोपाल द्वारा मूल्य वृद्धि के ` 75.26 लाख का भुगतान किया गया, यद्यपि यह अनुबंध में शामिल नहीं था क्योंकि कार्य के पूरा होने की अवधि 12 माह से कम थी।
	(कंडिका 3.2.4)
दर अनुसूची में उच्चतर दर के निर्धारण के कारण अतिरिक्त लागत	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने दरों की अनुसूची में "सड़क मार्गों के लिए कड़ी चट्टान में खुदाई–ब्लास्टिंग प्रतिबंधित" मद हेतु अविवेकपूर्ण ढंग से उच्च दरें निर्धारित कीं। लोक निर्माण संभाग (भवन/सड़क) दमोह द्वारा दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप एक सड़क कार्य में ` 50.75 लाख की अतिरिक्त लागत आई।
	(कंडिका 3.2.3)
पर्यवेक्षण प्रभारों को कम लगाना	यूको बैंक के भवनों के निक्षेप कार्य हेतु, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) ने गैर–शासकीय कार्यों हेतु निर्धारित सात प्रतिशत की दर के स्थान पर तीन प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार लगाया। मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के उल्लघंन के परिणामस्वरूप ` 41.26 लाख का कम आरोपण हुआ।
	(कंडिका 3.2.5)

जल संसाधन विभाग

ठेकेदारों से अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती न किया	दो जल संसाधन संभागों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा मदों की असंतुलित दर हेतु

जाना	अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती न किए जाने से ठेकेदारों को ` 3.18 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ पहुँचाए गए, साथ ही साथ, उस सीमा तक शासकीय धन की हानि हुई।
	(कंडिका 3.3.2)
सी.सी.लाईनिंग को त्रुटिपूर्ण अपनाए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय	चार जल संसाधन संभागों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा नहर लाइनिंग कार्य में सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) के गलत प्रावधान अपनाने के परिणामस्वरूप ` 1.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
	(कंडिका 3.2.2)

लोक निर्माण, जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग

कर्मकार कल्याण उपकर को जमा करने में विलंब

लोक निर्माण, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभागों में कर्मकार कल्याण बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर के ` 8.10 करोड़ को नियमों का उल्लघंन करते हुए विलंब से जमा करने से शासन पर ` 2.91 करोड़ के ब्याज की देयता निर्मित हुई।

(कंडिका 3.1.3)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्रमांक–2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियां एवं सांविधिक निकायों के लेन–देनों की नमूना जांच में दृष्टिगत हुए 9 प्रारूप कंडिकाओं (फॉलो अप क्रिया कलाप पर एक कंडिका को शामिल करके) के अतिरिक्त, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन तथा **"मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास लिमिटेड भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर में आवंटन एवं आधारभूत संरचना के विकास की गतिविधियो"**, **"मध्यप्रदेश के तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में पुर्नगठित, त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन"** तथा **"सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, सारणी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड में पर्यावरण मापदण्डों के पालन"** पर 3 निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्मिलित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है:

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित/नियंत्रित की जाती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक– महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा नियंत्रित की जाती है। 31 मार्च 2014 को मध्यप्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 58 कार्यशील उपक्रम (55 कम्पनियां तथा 3 सांविधिक निगम) और 9 अकार्यशील उपक्रम (सभी कम्पनियाँ) थे, जिनमें 62420 कर्मचारी कार्यरत थे।

(कंडिकाएं 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 एवं 1.6)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के 67 उपक्रमों में निवेश (पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण) ` 54206.15 करोड़ था। इसमें 2008–09 से ` 17447.93 करोड़ में 210.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत क्षेत्र में 2013–14 में कुल निवेश की 93.45 प्रतिशत के लगभग लेखांकित की गई। सरकार ने 2013–14 के दौरान समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में ` 14613.51 करोड़ का योगदान दिया।

(कंडिकाएं 1.7, 1.8, 1.9 एवं 1.10)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2013–14 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 58 कार्यशील उपक्रमों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उपक्रमों ने ` 349.95 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 6 उपक्रमों में कोई लाभ हानि नहीं और सार्वजनिक क्षेत्र के 20 उपक्रमों ने 30 सितम्बर 2014 तक उपलब्ध अंतिम लेखाओं के अनुसार ` 6216.29 करोड़ की हानि उठायी थी। पाँच कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखे नहीं दिये थे। हानि में प्रमुख रूप से मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (` 2113.02 करोड़), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (` 1887.15 करोड़), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (` 1810.95 करोड़) तथा मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिग कम्पनी लिमिटेड (` 385.75 करोड़) का योगदान था।

(कंडिका 1.16)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह दर्शाता है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ` 133.57 करोड़ की नियंत्रणीय हानियाँ तथा ` 51.66 करोड़ के निष्फल निवेश हुए।

(कंडिका 1.17)

लेखाओं के बकाया तथा अंतिमीकरण

सितम्बर 2014 तक 32 कार्यशील उपक्रमों के 84 लेखे एक से दस वर्षो की अवधि के लिए बकाया थे। कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार बकाया लेखों को पूर्ण करना आवश्यक है। नौ अकार्यशील उपक्रमों में से सात उपक्रम परिसमापन के अधीन है। बाकि दो अकार्यशील उपक्रमों के लेखे दो से छः वर्षो की अवधि के लिए बकाया हैं।

(कंडिकाएं 1.19, 1.20 एंव 1.21)

लेखाओं पर टिप्पणी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता हैं। कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये समस्त 47 लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षा से अहर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे। जिसमें वर्ष के दौरान लेखाकरण मानकों का पालन न करने के 11 लेखों में 46 उदाहरण थे। कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उनके कमजोर क्षेत्रों की ओर भी इंगित किया गया था।

(कंडिकाएं 1.28, 1.29 एंव 1.31)

2. सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर में आवंटन एवं आधारभूत संरचना के विकास की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

राज्य में उद्योगों व औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित और विकसित करने के मुख्य उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड (औ.के.वि.नि.), भोपाल, इन्दौर और जबलपुर का गठन क्रमशः नवम्बर 1987, नवम्बर 1981 व नवम्बर 1981 में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड/मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमिटेड, की सहायक कम्पनी के रूप में किया । स्थापना के बाद से 31 मार्च 2014 तक, विकास करने और उद्योगों को आवंटित करने के लिए औ.के.वि.नि. द्वारा

19032.60 एकड़ भूमि (भोपाल – 6472.59 एकड़, इन्दौर–10230.49 एकड़ और जबलपुर–2329.52 एकड़) का अधिग्रहण किया गया। 2009–14 के दौरान, इन औ.के.वि.नि. द्वारा आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए ` 242.33 करोड़ व्यय किये और 876 आवंटियों को 1750.31 एकड़ तक भूमि आवंटित की और ` 414.82 करोड़ वसूल किये ।

सात में से तीन औ.के.वि.नि. भोपाल, इन्दौर और जबलपुर में आवंटन और बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की जा रही है:

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल,

- अधिग्रहित भूमि का विकास न कर पाने के कारण, औ.के.वि.नि. में आवंटन की प्रक्रिया धीमी हो गयी ।

(कंडिका 2.1.7)

- औ.के.वि.नि. द्वारा भूमि/प्लाट के अधिग्रहण, विकास और आवंटन के लिए परिप्रेक्ष्य/कार्पोरेट/ वार्षिक योजना तैयार नहीं की गयी ।

(कंडिका 2.1.8)

- मण्डीदीप में लॉजिस्टक हब के निर्माण के लिए औ.के.वि.नि. ने ` 9.74 करोड़ मूल्य की 18.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण सौंप दिया और रियायत प्राप्त करने वाले द्वारा संवरण वित्तीय प्राप्त न करने व समझौते की शर्तो का उल्लंघन करने के बावजूद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया ।

(कंडिका 2.1.9)

- औ.के.वि.नि. ने न्यूनतम अचल पूँजी के निवेश और समर पर मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना करने में विफलता के लिए चार आवंटियों से ` 1.22 करोड़ की ब्याज के साथ छूट की वसूली नहीं की ।

(कंडिका 2.1.10)

- आवंटी के शेयरहोल्डिंग प्रारूप/संविधान में परिवर्तन के बावजूद औ.के.वि.नि. ने ` 4.56 करोड़ के स्थानांतरण शुल्क और विकास शुल्क की वसूली नहीं की ।

(कंडिका 2.1.11)

- औ.के.वि.नि. द्वारा एक आंवटी को भूमि के आवंटन के लिये कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से कम दर आरोपित करने के कारण ` 20.91 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.15)

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर

- क्रिस्टल आई.टी.पार्क, इन्दौर के संबंध में दिसम्बर 2004 में सिविल कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनुमानित व्यय ` 55.57 करोड़ के विरूद्ध, कार्य ` 118.47 करोड़ की लागत से मार्च, 2014 में पूर्ण हुआ ।

(कंडिका 2.1.19)

- औ.के.वि.नि. द्वारा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए लीज प्रीमियम में छूट देने की छूट की नीति के विचलन में 21 आवंटियों से प्राइम लोकेशन प्लाट पर एकत्रित अतिरिक्त भूमि प्रिमियम पर ` 2.92 करोड़ की गलत तरीके से छूट की अनुमति दी गई ।

(कंडिका 2.1.21)

- औ.के.वि.नि. ने न्यूनतम अचल पूँजी के निवेश और समय पर मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना करने में विफलता के लिए 11 आवंटियों से ` 10.39 करोड़ की ब्याज के साथ छूट की वसूली नहीं की ।

(कंडिका 2.1.22)

- औ.के.वि.नि. विकास शुल्क को लगाने के लिए आवंटन नियम/निर्णय को लागू करने में देरी के कारण ` 6.92 करोड़ की हानि ।

(कंडिका 2.1.26)

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम जबलपुर

- औ.के.वि.नि. द्वारा योजना की प्रतिकूल स्थिरता को जानने के बावजूद और निजी प्रमोटरों/ सह–निर्माताओं की पहचान लिए बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड़.) हरगढ़ के विकास में संभावना प्रतिवेदन/लागत लाभ विश्लेषण को तैयार किए बिना ` 5.23 करोड़ का खर्च किया गया ।

(कंडिका 2.1.30)

- 15 आवंटियों पर अतिरिक्त प्रीमियम आरोपित न करने और आठ स्थानांतरणियों से विकास शुल्क के व्यय के कारण औ.के.वि.नि. को ` 45.48 लाख की राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.33 और 2.1.34)

2.2 मध्यप्रदेश के तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में पुर्नगठित, त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार योजना (आर.ए.पी.डी.आर.पी.) सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एण्ड सी.) हानियों को 15 प्रतिशत के स्तर पर कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य के तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में लागू किया गया था। 2009–10 से 2013–14 की योजना लागू करने की अवधि को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा मई से जुलाई 2014 के दौरान की गई। योजना क्रियान्वयन के दौरान तीनों डिस्कॉम में पाये गए लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्न थे :

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (पूर्व डिस्कॉम)

- डिस्कॉम द्वारा निर्धारित तीन वर्ष की अवधि में योजना की एक परियोजना भाग–अ पूर्ण नहीं की गई, इसके कारण बढ़ाये गये समय के ब्याज को अनुदान में परिवर्तित करके ` 49.61 करोड़ के अतिरिक्त भार को अवशोषित करके भारत सरकार को योजना की अवधि बढ़ानी पडी ।

(कंडिका 2.2.8)

- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा परियोजना के भाग–अ को अपर्याप्त तरीके से लागू करने के कारण, ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त नहीं हुआ जैसा वांछित था।

(कंडिका 2.2.10, 2.2.11 और 2.2.14)

- डिस्कॉम ` 77 करोड़ मूल्य के पूर्ण फीडरों के निष्पादन की जांच नहीं कर सका और संचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा सके। यह भाग–अ एप्लीकेशन के अनुपयोग द्वारा फीडर/शहर स्तर पर विश्वसनीय एटी.एण्ड.सी हानियों का प्रदर्शन न होने के कारण हुआ ।

(कंडिका 2.2.15)

- डिस्कॉम द्वारा पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाया अधिग्रहण (स्काड़ा) परियोजना एक पहले चूककर्ता टर्नकी कांट्रेक्टर (टीकेसी) को दे दिया था परिणामस्वरूप कार्य के निष्पादन में कमी रही तथा जबलपुर शहर में वितरण प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीकृत नियंत्रण का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका था ।

(कंडिका 2.2.18)

- डिस्कॉम ने भाग–ब टर्नकी अनुबंध कराने में देरी के परिणामस्वरूप योजना अवधि में पूरा नहीं किया जा सका और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.2.21)

- डिस्कॉम ने योजना के तहत प्राप्त वित्त के उपयोग में वित्तीय विवेक का पालन नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप टीकेसी

टर्नकी अनुबंधकर्ता को ` 11.89 करोड़ का अनुचित लाभ लामबंदी अग्रिम का अतिरिक्त भुगतान, असमायोजित अग्रिम पर ब्याज चार्ज न करना तथा मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान के रूप में प्रदान किया गया ।

(कंडिका 2.2.22)

- डिस्कॉम द्वारा क्रय नीति से विचलन किया गया तथा उच्चदर पर चूककर्ता टीकेसी को उसी शहर का काम दिया गया और उसे ` 6.08 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(कंडिका 2.2.23)

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मध्य डिस्कॉम)

- डिस्कॉम द्वारा भाग–अ के कार्यो को निर्धारित अवधि तीन वर्ष में पूर्ण नहीं किया, इस कारण भारत सरकार को योजना की अवधि बढ़ाना पड़ी तथा ` 24.10 करोड़ की ब्याज राशि को अनुदान में परिवर्तित करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.26)

- डिस्कॉम द्वारा पूर्ण किये गये फीडरों के ` 14.29 करोड़ के निष्पादन की जांच को प्राप्त नहीं किया गया और सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों का विश्वसनीय प्रदर्शन भाग–अ एप्लीकेशन द्वारा फीडर तथा शहर स्तर पर नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.31)

- परियोजना के टीकेसी द्वारा स्काडा परियोजना के कमजोर क्रियान्वयन असमर्थ निष्पादन के कारण भोपाल एवं ग्वालियर में परियोजना में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.2.33)

- डिस्कॉम ने योजना के तहत प्राप्त वित्त के उपयोग के वित्तीय विवेक का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप टीकेसी को ` 16.16 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(कंडिका 2.2.37)

- डिस्कॉम ने चूककर्ता टीएसी से छोड़े गये कार्यो की राशि ` 10.55 करोड़ की वसूली जोखिम तथा लागत आधार पर नहीं की।

(कंडिका 2.2.38)

- डिस्कॉम ने ` 48.10 करोड़ के कार्य विभागीय रूप में, पावर फाईनेंस निगम (पी.एफ.सी) से स्वीकृति प्राप्त किए बिना

सम्पन्न किये तथा राशि अभी भी पावर फाईनेंस निगम से दावा करना थी।

(कंडिका 2.2.39)

मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पष्चिम डिस्कॉम)

- डिस्कॉम द्वारा भाग–अ के कार्यो को निर्धारित अवधि तीन वर्ष में पूर्ण नहीं किया, इस कारण भारत सरकार को योजना की अवधि बढ़ाना पड़ी तथा ` 9.94 करोड़ की ब्याज राशि को अनुदान में परिवर्तित कर भार वहन करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.44)

- डिस्कॉम द्वारा पूर्ण किये गये फीडरों के मूल्य ` 55.36 करोड़ के निष्पादन को प्राप्त नहीं किया गया और सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि का विश्वसनीय प्रदर्शन भाग–अ एप्लीकेशन द्वारा फीडर तथा शहर स्तर पर नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.49)

- टीकेसी द्वारा इन्दौर तथा उज्जैन शहरों में योजना का निष्पादन कमजोर होने के कारण, स्काडा परियोजना के वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके।

(कंडिका 2.2.51)

- डिस्कॉम द्वारा योजना में प्राप्त निधियों के उपयोग में वित्तीय औचित्य का पालन नहीं किया। इस कारण टीकेसी के ` 6.54 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(कंडिका 2.2.54)

- डिस्कॉम द्वारा मांग से अधिक वितरण ट्रांसफार्मर क्रय किये गये तथा ` 8.93 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया।

(कंडिका 2.2.55)

* डिस्कॉम द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को संचालन समिति द्वारा निर्धारित सीमा से परे जाकर परिवर्तन किया तथा ` 20.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। यह राशि अभी भी पीएफसी से दावा की जानी थी।

(कंडिका 2.2.56)

2.3 सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, सारणी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड में पर्यावरण मापदण्डों के पालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र (एस.टी.पी.एस.) सारणी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड में वर्ष 2011–12 से 2013–14 के मध्य पर्यावरण मापदण्डों के पालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के मध्य सम्पन्न की गई। निष्पादन समीक्षा, कम्पनी, द्वारा वैद्यानिक आवश्यकताओं के अनुपालनार्थ लगाई गई वायु एवं जल प्रदूषण निरोधी व्यवस्था की उपलब्धता एवं पर्याप्तता की जांच हेतु सम्पादित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्न है :

* वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान एस.टी.पी.एस., मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी) द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.) लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। प्रत्येक इकाई का एस.एच.आर., एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था । चूँकि, वास्तविक एस.एच.आर. निर्धारित मानकों से अधिक था, कोयले एवं तेल की खपत भी कम्पनी द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक रही जिसके फलस्वरूप 10.33 लाख एम.टी. अतिरिक्त राख एवं ग्रीनहाउस गैसों के निस्सारण का प्रभाव वायु एवं जल प्रदूषण पर पड़ा ।

(कंडिका 2.3.6)

* सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) का स्तर पर्यावरण (प्रोटेक्शन) नियम, 1986 के तहत निर्धारित 150 मि.ग्रा./एन एम^3 से अधिक रहा । एस.टी.पी.एस. ने एस.पी.एम. स्तर को नियंत्रित करने हेतु न ही इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटरो का उन्नयन किया

और न ही नियमित रूप से अमोनिया फ्लू कंडिशिनिंग सिस्टम लागू किया ।

(कंडिका 2.3.8 तथा 2.3.9)

- औसत ` 20 लाख एम.टी. राख का उत्पादन करने वाले एस.टी. पी.एस. ने ड्राय फ्लाय एश कलेक्शन सिस्टम की स्थापना नहीं की, जैसा कि मार्च 2012 से मार्च 2015 के बीच प्रस्तावित था ।

(कंडिका 2.3.11)

- निस्तारित जल में (कुल निलंबित ठोस) टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टी.एस.एस.) की मात्रा 100 मि.ग्रा. प्रति लीटर के मानक के विरूद्ध अधिक रही, यह राखड़ बाँध में 106 से 125 मि.ग्रा. पाथा नाला में 108 से 1707 मि.ग्रा. पायी गई। राखड़ बाँध ऍफ्लूएन्टस के 100 प्रतिशत उपचार/पुर्नचक्रीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के दौरान क्रमशः एस.टी.पी.एस. मात्र 19, 24 एवं 23 प्रतिशत ही पुर्नचक्रित कर सका ।

(कंडिका 2.3.12 एवं 2.3.13)

- एस.टी.पी.एस. ने विधि हजारडस वेस्ट (मैनेजमेन्ट, हैन्डलिंग, एवं ट्रांस बाउन्ड्री मूवमेन्ट) नियम 2008 में दर्शायी गई 90 दिन की समय सीमा में उपभोग किये तेल एवं रेज़िन (हानिकारक अपशिष्ट) का निपटान नहीं किया, जिसके भण्डारण के फलस्वरूप पर्यावरण पर खतरा बना रहा ।

(कंडिका 2.3.15)

3. लेन–देन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियां और संबंधित गम्भीर वित्तीय जटिलता दर्शाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है :

- ***मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उज्जैन लिमिटेड*** द्वारा नियत समय पर वार्षिक आयकर विवरण जमा नहीं करने और

अग्रिम कर के प्रेषण में कमी के परिणामस्वरूप ` 26.77 लाख का परिहार्य भुगतान ।

(कंडिका 3.1)

- ***स्पेशल इकॉनोमिक जोन लिमिटेड (इन्दौर)*** द्वारा उपभोक्ताओं को वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान सुरक्षा जमा पर ब्याज नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप दण्डात्मक ब्याज के रूप में ` 47.17 लाख का परिहार्य व्यय हुआ ।

(कंडिका 3.2)

- परिधान पार्क की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने सितम्बर 2011 से योजना को बंद करने का निश्चय किया । इस प्रकार ***स्पेशल इकॉनोमिक जोन लिमिटेड (इन्दौर)*** द्वारा अत्याधिक देरी और परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिये प्रभावी निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप ` 32.48 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(कंडिका 3.3)

- लघु अवधि व दीर्घ अवधि के निधि प्राप्ति व अपनी आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए उचित निधि प्रबंधन तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप ***मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड*** को ` 35.28 लाख ब्याज की हानि ।

(कंडिका 3.4)

- संचालन और संधारण शुल्क पर निदेशक मण्डल के निर्णय का पालन न करने के चार आवंटियों से ` 2.84 करोड़ वसूल करने में विफलता के कारण ***क्रिस्टल आई.टी. पार्क इन्दौर*** को राजस्व की हानि ।

(कंडिका 3.5)

- ***मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड*** द्वारा बिना आवश्यकता के सामग्री क्रय करने के परिणामस्वरूप ` 5.02 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिका 3.6)

- ***मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड*** का गलत टैरिफ दर के प्रयोग करने के परिणामस्वरूप ` 20.94 लाख राजस्व की हानि ।

(कंडिका 3.7)

- उन उपभोक्ताओं के संबंध में जिनकी अनुबंधित मांग टैरिफ शेड्यूल में दर्शायी मांग से भिन्न थी, पर टैरिफ शेड्यूल 2011–12 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुबंधित मांग को लागू न किये जाने के कारण, ***मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड*** द्वारा ` 6.61 करोड़ की कम बिलिंग ।

(कंडिका 3.8)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या–3

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में **मध्य प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली, मध्य प्रदेष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान, बालिकाओं के कल्याण एवं सषक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन, षिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन** की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत समीक्षाएं एवं कंडिकाएं एवं शासकीय विभाग/स्वायत्त निकाय, समिति इत्यादि की वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षा समाविष्ट है। यह संक्षेपिका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों के सार को प्रस्तुत करती है।

मुख्य विषेषताएं

- **प्रदूषणकारी उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों, नदियों इत्यादि की पहचान और उनके प्रदूषण के स्तर के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था। उद्योगों एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को प्राधिकार/सहमति देने में विलम्ब हुआ था। 625 परिसंकटमय उद्योगों में से, 76 प्राधिकार के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे। अपषिष्ट जल के नमूनों के परीक्षण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य निर्धारित मानदण्डों से कम थे (23 से 55 प्रतिषत)। 32 जिलों में जलमल उपचार संयन्त्र उपलब्ध नहीं थे। सीमेंट संयंत्र प्रदूषकों का उत्सर्जन कर रहे थे। इस प्रकार वायु प्रदूषण कर रहे थे। बी.एम.डब्लू. पर शीर्ष समिति की वर्ष 2011 में एक बैठक को छोड़कर कभी बैठक नहीं हुई।**

- **जारी किए गए बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. राशनकार्डों की संख्या उनके परिवारों की संख्या से अधिक थी जो बोगस कार्डों का प्रचलित होना दर्शाता है। विभाग ने 12.44 लाख एम.टी. गेहूं एवं 1.61 लाख एम.टी. चावल वितरण नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की उल्लेखनीय कमी थी। सिंगल**

एवं डबल एल.पी.जी. सिलेन्डर रखने वाले कार्डधारकों की पात्रता सुनिष्चित किए बिना केरोसिन तेल वितरण किया गया था। सतर्कता समिति ने खाद्यान्न के आवंटन एवं वितरण की समीक्षा हेतु बैठकें आयोजित नहीं की।

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने समग्र स्वच्छता अभियान के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना बॉटमअप एप्रोच एवं सामुदायिक संतृप्तीकरण का दृष्टिकोण अपनाए बिना तैयार की थी। जनपद पंचायतों के बैंक खातों में समग्र स्वच्छता अभियान से संबंधित धनराषियां अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। संतृप्तीकरण हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों में से मात्र 13 प्रतिषत ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण किया जा सका था। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में (11 से 69 प्रतिषत) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में (66 से 90 प्रतिषत) की कमी थी।

- किषोरी शक्ति योजना के अंतर्गत प्रषिक्षण प्रदान करने हेतु पृथक से सर्वेक्षण किए बिना बालिकाओं की पहचान की गई। बालिकाओं का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से नहीं किया गया था। किषोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं को व्यावसायिक प्रषिक्षण नहीं दिया गया था। सबला अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य षिक्षा, परिवार कल्याण तथा जीवन कौषल षिक्षा पर मार्गदर्षन एवं परामर्ष अपर्याप्त था। किषोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच कहीं भी नहीं की गई थी। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रोत्साहन राषि के भुगतान में 18 माह तक का विलंब था।

- राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात रोकथाम–नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत असंचारी रोगों के बारे में जागरूकता के लिए सूचना, षिक्षा एवं संचार गतिविधियां संचालित नहीं की गई। निधियों के अल्प उपयोग के कारण एन.सी.डी. क्लीनिकों में वृद्धावस्था वार्डों क्लीनिकों, आवष्यक औषधियों, मषीनरी एवं उपकरणों की कमी थी। चिकित्सा एवं पर चिकित्सा कर्मियों की तैनाती न होने के

कारण कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रभावित हुई।

- सर्व षिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के उपरांत भी वर्ष 2013–14 के दौरान 0.20 लाख "विद्यालय के बाहर" बच्चों को मुख्यधारा में नहीं लाया जा सका था। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शाला त्यागने की दर अधिक थी। विद्यालयों में पीने का पानी, बालिका शौचालय, बर्तन, फर्नीचर की उपलब्धता अपर्याप्त थी। मार्च 2014 तक 13 प्रतिशत बसाहटों को पांच किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा आच्छादित नहीं किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) मध्य प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली

जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु क्रमशः जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 संसद द्वारा अधिनियमित किये गये। अपशिष्टों अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को विनियमित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सम्बंधित नियम तैयार किये गये थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) 1974 में गठित हुआ था, जो कि राज्य में पर्यावरणीय अधिनियमों एवं नियमों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है। वर्ष 2009–14 के दौरान ***मध्य प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली*** *की निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः*

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आयोजना एवं सर्वेक्षण तथा प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान

वर्ष 2012–17 के लिये पंचवर्षीय योजना बनाते समय, म.प्र.प्र.नि.बो. ने अधीनस्थ इकाईयों से आदानों को प्राप्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त, प्रदूषणकारी उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों,

नदियों इत्यादि की पहचान और उनके प्रदूषण के स्तर के मूल्यांकन के लिये कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

सहमति/प्राधिकार देने में विलम्ब एवं उद्योगों को सहमति/प्राधिकार का नवीनीकरण न होना	उद्योगों को सहमति/प्राधिकार देने में उल्लेखनीय देरी हुई थी। नमूना जांच किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत या तो सहमति प्राप्त किये बिना या सहमति के नवीनीकरण के बिना 2190 उद्योग, 280 स्थानीय निकाय और 28 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कार्य कर रहे थे। 625 उद्योगों में से 76 उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अर्न्तगत प्राधिकार के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे।
औद्योगिक अपषिष्ट जल का अनुवीक्षण	उद्योगों से अपशिष्ट जल नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिये म.प्र.प्र.नि. बो. द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में, लक्ष्यों के निर्धारण में 23 से 55 प्रतिशत तक की कमी थी।
घरेलू बहिःस्त्राव का अपर्याप्त उपचार एवं नदी जल गुणवत्ता में अवनति	32 जिलों में, घरेलू बहिःस्त्राव/ जलमल के उपचार के लिये कोई जलमल उपचार संयंत्र नहीं था। 19 अनुवीक्षण स्थानों पर नदी जल गुणवत्ता अवनत हुई थी और आठ अनुवीक्षण स्थानों पर सुधार हुआ था।
राष्ट्रीय परिवेषीय वायु अनुवीक्षण	वायु प्रदूषण का अनुवीक्षण अपर्याप्त था। चौदह परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण स्टेशन कार्यरत नहीं थे। कार्यात्मक स्टेशनों में, नमूनों के परीक्षण में कमी 34 से 95 प्रतिशत के बीच थी।

वाहनीय एवं ध्वनि प्रदूषण का अनुवीक्षण	11 प्रतिशत वाहन सीमा से अधिक उत्सर्जन करते पाए गए जो वायु प्रदूषण कर रहे थे एवं 47 प्रतिशत प्रकरणों में ध्वनि प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक था।
स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों का प्राधिकार एवं नवीनीकरण	कैलेण्डर वर्ष 2009 से 2013 के दौरान, 808 से 1274 एच.सी.ई. बिना प्राधिकार के कार्यरत थे एवं 782 से 1217 एच.सी.ई. ने प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं किया। एच.सी.ई. को 9 से 623 दिनों के विलम्ब से प्राधिकार जारी किए गए थे। 627 एच.सी.ई. प्राधिकार के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे।
एम.एस.डब्ल्यू नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन	स्थानीय निकायों के दो प्रतिशत से भी कम के द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (*एम.एस.डब्ल्यू*) का प्रसंस्करण और व्ययन किया गया था।
सलाहकार समिति की अपर्याप्त बैठकें एवं निरीक्षण के लिए मानदण्ड	म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों और उद्योगों के निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये थे। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2011 में गठित बी.एम.डब्ल्यू. पर शीर्ष समिति की 2011 में एक बैठक को छोड़कर कभी बैठक नहीं हुई।

(ii) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*कम कीमत पर जनता के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) एक प्रमुख साधन है। यद्यपि देश में खाद्यान्न के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी भारत सरकार (जी.ओ. आई.) के साथ निहित है, राज्य सरकार राज्य में पी.डी.एस. के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के लिये जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया गया। अवधि वर्ष 2009–14 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सब्सिडी पर ` 2,055 करोड़ व्यय हुआ था। अवधि 2009–14 के दौरान "**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**" के क्रियान्वयन पर एक समीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:*

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बजट प्रावधान एवं व्यय	वर्ष 2009–10 एवं 2013–14 के दौरान निधियों की सम्पूर्ण बचतें हुई थी। 2013–14 के दौरान निधियों का अल्प उपयोग देखा गया (20 प्रतिशत) जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलाप जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में उचित मूल्य की दुकानों एवं लीड समितियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति, गोदामों के निर्माण एवं आयोडीनयुक्त नमक का वितरण प्रभावित हुआ।
राशन कार्डों का जारी करना	जारी किए गए बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. राशन कार्डों की संख्या राज्य में बी.पी. एल. परिवारों की संख्या से अधिक थी जो बोगस कार्डों का प्रचलित होना दर्शाता है। विभाग ने बी.पी.एल. सर्वे सूची में दर्शित बी.पी.एल. परिवारों के साथ बी.पी.एल./ए.ए.वाई. राशनकार्डों

	का मिलान नहीं किया। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद राज्य में 2009–14 की अवधि के दौरान 1,06,911 बोगस राशन कार्ड हटाए गए थे। घर–घर जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ एवं चावल का वितरण	विभाग ने 2009–14 की अवधि में 12.44 लाख एम.टी. गेहूँ एवं 1.61 लाख एम.टी. चावल वितरण नहीं किया। 6.84 लाख एम.टी. ए.पी.एल. कोटा गेहूँ बी.पी.एल. कार्डधारियों को व्यपवर्तन किये जाने से राज्य सरकार पर ` 507.96 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।
गेहूँ का कम दरों पर बेचना	मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन ने लीड समितियों को संशोधित दरों के स्थान पर कम दरों पर 51,479 मीट्रिक टन गेहूँ बेचा परिणामस्वरूप ` 1.78 करोड़ की हानि हुई।
पी.डी.एस. वस्तुओं का वितरित न होना	नमूना जांच किए गए जिलों में, 31 मार्च 2014 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकानों पर 3,693 किलोलीटर केरोसिन और 20,971 एम.टी. खाद्यान्न/शक्कर तथा नमक मूल्य ` 10.56 करोड़ अवितरित पड़ा रहा।
कारखानों द्वारा शक्कर की आपूर्ति नहीं किया जाना	वर्ष 2012–14 के दौरान, शक्कर कारखानों द्वारा 14,399 एम.टी. शक्कर की आपूर्ति नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, संबंधित शक्कर कारखानों के

	स्टॉक को जब्त करने के भारत सरकार के आदेशों के बावजूद, चूककर्ता शक्कर कारखानों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।
उचित मूल्य की दुकानों की कमी	नमूना जांच किए गए जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 982 उचित मूल्य की दुकानों एवं शहरी क्षेत्रों में 295 उचित मूल्य की दुकानों की कमी थी।
वितरण एजेंसियों का निरीक्षण एवं सतर्कता समिति की बैठकें	जिला कार्यालयों के निरीक्षण में 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कमी थी। जिलों के कलेक्टर द्वारा उठाव एवं उचित मूल्य की दुकानों में पी.डी.एस. वस्तुओं के निर्गम की मासिक समीक्षा के आयोजन में कमी थी। उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन में कमी थी एवं सभी स्तरों पर आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गई थी।

(iii) समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान

*ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्वच्छता सुविधाओं को सुधारने तथा महिलाओं को निजता तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत शासन ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत सरकार ने 1999 से कार्यक्रम को **"समग्र स्वच्छता अभियान"** (टी.एस.सी.) नाम दिया तथा 1 अप्रैल 2012 से पुनः परिवर्तित कर नाम **"निर्मल भारत अभियान"** (एन.बी.ए.) किया गया। एन.बी.ए. के दिशानिर्देशानुसार निर्मल ग्राम पंचायतों के निर्माण की दृष्टि से संतृप्तीकरण परिणाम के लिए सम्पूर्ण समुदाय का समावेश्न विहित है। वर्ष 2009–14 की अवधि के दौरान योजना की समीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:*

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राशि जारी करने में विलम्ब	वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान

एवं अल्प उपयोग

निधियों का अल्प उपयोग ₹ 84.19 करोड़ से ₹ 472.96 करोड़ के मध्य रहा जिससे योजनाओं के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रगति धीमी रही। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को योजना निधि का राज्यांश जारी करने में 81 दिन तक विलम्ब हुआ।

ब्याज की राषि का लेखांकन न किया जाना एवं जनपद पंचायतों में राषियों का अप्रयुक्त पड़े रहना

नमूना जांच की गई जनपद पंचायतों में टी.एस.सी./एन.बी.ए. पर अर्जित ब्याज ₹ 74.17 लाख का लेखांकन नहीं किया गया था। मार्च 2014 की स्थिति में 22 जनपद पंचायतों के संबंध में टी.एस.सी. से संबंधित ₹ 6.58 करोड़ बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़े थे।

योजनाओं की तैयारी एवं बैठकों का आयोजन

राज्य मिशन द्वारा वार्षिक कार्यान्वयन योजना बॉटमअप एप्रोच एवं सामुदायिक संतृप्तीकरण का दृष्टिकोण अपनाये बिना तैयार की गईं थी। राज्य स्तरीय मिशन तथा जिला स्तरीय मिशन की बैठकों का आयोजन पर्याप्त नहीं था।

परियोजना कार्यान्वयन योजना का पुनरीक्षण

वर्ष 2009–14 के दौरान वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वित्त पोषण मानदण्डों को तीन बार परिवर्तन किया गया था। लेकिन वित्त पोषण मानदण्डों में परिवर्तन के बाद परियोजना कार्यान्वयन योजना का पुनरीक्षण नहीं किया गया था एवं पी.आई.पी. में निर्धारित लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा

निर्धारित समयावधि में निर्मल स्थिति प्राप्त करने के अनुरूप नहीं थे।

लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया जाना था। बी.पी.एल.एवं ए.पी.एल. परिवारों हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में कमी क्रमशः 11 से 69 प्रतिशत के मध्य एवं 36 से 76 प्रतिशत के मध्य थी। सामुदायिक स्वच्छता परिसर में कमी 66 से 90 प्रतिशत के मध्य थी एवं 2009–10 एवं 2012–13 के वर्षों में विद्यालय शौचालयों के निर्माण में कमी क्रमशः 29 एवं 90 प्रतिशत थी।

संतृप्तीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति न होना

एन.बी.ए. योजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण करना था ताकि वर्ष 2022 तक निर्मल भारत के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित 7,615 ग्राम पंचायतों के विरूद्ध मात्र 1000 (13 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण किया जा सका।

निर्मल ग्राम पुरस्कार एवं पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों का स्लिप बैक होना

निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए चयनित 212 ग्राम पंचायतों को केवल प्रथम किस्त का भुगतान किया गया था लेकिन निर्मल ग्राम पुरस्कार की द्वितीय किस्त जारी नहीं की गई थी, ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार पुरस्कार की राशि

` 0.50 लाख से पांच लाख के मध्य है। शहहोल जिले में 32 निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों ने निर्मल स्थिति नहीं बनाए रखी थी।

ठोस तथा तरल अपषिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयन न किया जाना

2009–14 की अवधि के दौरान, एस. डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा एस.एल.डब्ल्यू.एम के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया यहां तक कि इस हेतु न तो ग्राम पंचायतों की पहचान की गई और न ही उन्हें कोई धनराशि आवंटित की गई, इसके कारण ग्रामीण जनता के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सूचना, षिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) क्रियाकलापों में कमी होना

सूचना शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी) क्रियाकलाप वर्ष भर जारी नहीं रहे थे। ग्राम पंचायतों को सूचना शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी) गतिविधियों के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

राज्य स्तर पर राज्य समीक्षा मिशन तथा विशेषज्ञों का पैनल गठित नहीं किया गया था। नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस तथा ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन नहीं किया गया था जिससे योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई।

(iv) बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने एवं आत्मविकास के द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार ने ***किषोरी शक्ति योजना*** *एवं* ***राजीव गांधी किषोरी सशक्तिकरण*** *योजना (सबला) (15*

जिलों में) कार्यान्वित की। बालिकाओं में साक्षरता दर बढ़ाने एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर शिक्षा हेतु ***कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना*** *कार्यान्वित की गई। वर्ष 2009–14 की अवधि के दौरान योजना की समीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः*

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पात्र बालिकाओं की पहचान एवं चयन

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच करने हेतु पृथक से सर्वेक्षण जैसा कि दिशानिर्देशों में विहित था किए बिना बालिकाओं की पहचान की गई। चयनित बालिकाओं की पात्रता संबंधी जांच भी ग्राम सभा द्वारा नहीं कराई गई थी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सम्मिलित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था, मास्टर्स ट्रेनर तैयार करने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी उपस्थित नहीं हुए थे एवं बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान 36 नमूना जॉच किए गए परियोजना कार्यालयों में 7 में सबला कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए गए थे।

स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फोलिक एसिड का सम्पूरण

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत नमूना जांच किए गए जिलों में से किसी में भी बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच तथा आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण नहीं

किया गया था। सबला के अंतर्गत 79 आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी एवं 68 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आयरन फौलिक एसिड सम्पूरण नहीं किया गया था।

मार्गदर्षन/परामर्ष उपलब्ध कराना

नमूना जांच किए गए जिलों में, सबला के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण तथा जीवन कौशल शिक्षा पर मार्गदर्शन एवं परामर्श उपलब्ध कराने में 33 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक की कमी थी।

अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण

किशोरी शक्ति योजना एवं सबला के अंतर्गत अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि जिला एवं परियोजना स्तर पर अनुवीक्षण समिति की आवश्यक बैठकों के आयोजन की अत्यधिक कमी थी, जिसका प्रभाव योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति पर पड़ा।

विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण

जिला/परियोजना स्तर पर विभिन्न विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण नहीं किया गया था, इसी तरह बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावशाली समन्वय एवं कार्यान्वयन को प्राप्त करने का सबला का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किए बिना लाभ दिए गए

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिकाओं की पात्रता मापदण्ड, जैसे आय प्रमाण–पत्र और जाति प्रमाण–पत्र एवं बगैर आवेदन प्राप्त किए,

सुनिश्चित किए बिना 9189 बालिकाओं को ` 1.48 करोड़ प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया।

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में बालिकाओं की संख्या में कमी होना

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई थी। 9 वीं कक्षा में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या वर्ष 2009–10 (0.95 लाख), 2010–11 (1.18 लाख) एवं 2011–12 (1.67 लाख) के मुकाबले 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान 11 वीं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या क्रमशः 0.55 लाख, 0.58 लाख एवं 0.64 लाख थी जो 11 वीं कक्षा में क्रमशः बालिकाओं की 42 प्रतिशत, 51 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत कमी को दर्शाता है।

(v) आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन

*भारत सरकार द्वारा असंचारी रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात रोकथाम–नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान के लिए **राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम** (एन.पी.एच.सी.ई.) क्रमशः वर्ष 2008 एवं 2010 में शुरु किये गये थे। कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पांच आदिवासी जिलों में किया जा रहा था।वर्ष 2011–14 की अवधि के लिये योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:*

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन

एन.पी.सी.डी.सी.एस. के अंतर्गत 77 से 100 प्रतिशत तथा एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत 70 से 94 प्रतिशत निधियों का अल्प उपयोग हुआ था, परिणामस्वरूप विभिन्न गतिविधियां यथा वृद्धावस्था क्लीनिक एवं वार्ड की स्थापना, मशीनरी, उपकरण, औषधियों की अधिप्राप्ति, मानव संसाधन की तैनाती, प्रशिक्षण तथा जन–जागरूकता संचालित नहीं की गई।

योजना

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान राज्य कार्य योजना या जिला कार्य योजना तथा भौतिक वित्तीय एवं महामारी प्रोफाइल पर डाटा बेस तैयार नहीं किया गया था।

शीघ्र निदान की रणनीति एवं जांच सुविधाओं का अभाव

दो नमूना जांच किए गए जिलों में परख शिविर आयोजित नहीं किए गए थे एवं विद्यालय स्तर पर मधुमेह के लिए परख कार्यक्रम पर प्रारम्भिक अध्ययन आयोजित नहीं किया गया था। जिला एवं सी.एच.सी. स्तर के असंचारी रोग क्लीनिकों में आवश्यक जांच सुविधाओं का अभाव था।

हृदय उपचार इकाई

धार एवं रतलाम जिलों में भवन एवं उपकरण की कमी के कारण हृदय उपचार इकाई का सुदृढ़ीकरण नहीं किया जा सका एवं अगस्त 2012 से मार्च 2014 के दौरान ` 41 लाख की लागत से अधिप्राप्ति की गई मशीनें अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

आवश्यक औषधियों की कमी

तीन नमूना जांच की गई जिला असंचारी क्लीनिकों में मधुमेह, हृदय एवं आघात

घटक के अंतर्गत 29 से 45 प्रतिशत तथा कैंसर घटक के अंतर्गत 91 से 100 प्रतिशत औषधियों की कमी पाई गई।

(vi) शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन

सर्व शिक्षा अभियान *(एस.एस.ए.) एवं* ***मध्यान्ह भोजन योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम*** *(एन.पी.एम.डी.एम.) की शुरुआत बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदाय करने, बच्चों में पोषण को बढ़ाने एवं 06 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए की गई थी।* ***राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान*** *(आर.एम.एस.ए.) की शुरुआत 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सार्वभौमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किया गया था। इन कार्यक्रमों को राज्य के 21 आदिवासी जिलों में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2011–14 की अवधि के लिये योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:*

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन	सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी राशि को सामान्य, एस.सी.एस.पी. और टी.एस.पी. के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था।
योजना	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.) मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 39 से 45 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. देरी से अनुमोदित किया जा सका और राशि देरी से जारी की जा सकी।
बच्चों का विद्यालय से बाहर	सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के

रहना	बावजूद, 33,000 बच्चे विद्यालय के बाहर थे उनमें से जनजातीय जिले के 13,000 बच्चों को वर्ष 2013–14 के दौरान मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जा सका।
चयनित विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का शाला त्यागी रहना	नमूना जांच किए गए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 689 शाला त्यागी विद्यार्थियों में से 619 विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के थे अर्थात् कुल शाला त्यागी विद्यार्थियों का 90 प्रतिशत, इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शालात्यागी दर सभी श्रेणी के बच्चों से अधिक थी।
बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता	10 चयनित जिलों के 29,939 विद्यालयों में से 1738 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी 3725 विद्यालय बालकों के लिए शौचालय विहीन थे, 3442 विद्यालय बालिकाओं के लिए शौचालय विहीन थे, 12283 विद्यालय बिना रैम्प के थे, 19881 विद्यालय बिना चार–दीवारी के थे एवं 3329 विद्यालय बिना फर्नीचर के थे।
अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन	चयनित 84 विद्यालयों में वर्ष 2011–14 के दौरान आवश्यक 3024 निरीक्षणों के विरूद्ध केवल 885 निरीक्षण किए गए। इस प्रकार 2139 (71 प्रतिशत) निरीक्षणों की कमी थी। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

लेन–देन लेखापरीक्षा के परिणाम

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अमानक औषधियों की अधिप्राप्ति एवं वितरण	आपूर्तिकर्ता से अधिप्राप्त की गई औषधियों की गुणवत्ता का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वितरण से पूर्व आकलन नहीं किया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा किए गए परीक्षण के द्वारा ` 65.95 लाख की अधिप्राप्त की गई औषधियां अमानक पाई गईं।
औषधियों की आपूर्ति न किए जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जाना	औषधियों/सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने पर, आपूर्तिकर्ताओं पर अनुबंध खंड का उल्लंघन करते हुए ` 2.37 करोड़ की शास्ति का आरोपण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों द्वारा नहीं किया गया।
मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण करना एवं पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराना	रोगी कल्याण समितियों द्वारा निष्पादित किये गये पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किए जाने से शासन ` 1.02 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।
रोगी कल्याण समिति द्वारा शासकीय भूमि का अनाधिकृत उपयोग एवं प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण प्रतिधारण	रोगी कल्याण समिति ने शॉपिंग कॉम्पलैक्स निर्माण के लिए शासकीय भूमि का अनाधिकृत उपयोग किया एवं उसे निजी व्यक्तियों को पट्टे पर दे दिया तथा राज्य की संचित निधि से बाहर ` 4.35 करोड़ त्रुटिपूर्ण तरीके से

	प्रतिधारित रखे।
ट्रामा केयर केन्द्रों का संचालन	उपकरणों (` 1.05 करोड़) का उपार्जन न करने / निष्क्रियता, निधियों का उपयोग अमान्य मदों (` 0.71 करोड़) पर किए जाने, एम्बुलेन्सों का संचालन न किए जाने तथा मानव–शक्ति की कमी के कारण मध्य प्रदेश में स्थापित ट्रामा केयर केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थे।
अकार्यषील प्रषिक्षण केंद्रों के स्टाफ को वेतन एवं भत्तों का भुगतान	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों जो तीन से 12 वर्षों तक कार्यशील नहीं थे, पर तैनात स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ` 6.26 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) (एम.पी.एच.डब्ल्यू) उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था।
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के उपचार के लिए सहायता का अनियमित भुगतान	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के उपचार के लिए राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को ` 1.01 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

महिला एवं बाल विकास विभाग

परिवहन प्रभार का अनियमित भुगतान

तीन जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए ` 80.46 लाख के परिवहन प्रभार का अनियमित भुगतान किया गया।

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

आवासीय परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय

मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा एक आवासीय परियोजना के अपूर्ण कार्य को अन्य ठेकेदार को पुनः प्रदान करने के कारण ` 1.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया। ठेकेदार के साथ अनुबंध में कमी के कारण, चूककर्ता ठेकेदार से केवल ` 48.73 लाख की वसूली की जा सकी थी।

चिकित्सा षिक्षा विभाग

विद्युत प्रभार पर परिहार्य व्यय

उच्च संविदा मांग के लिए अनुबंध का निष्पादन तथा औसत मासिक ऊर्जाकारक का संधारण न करने के कारण बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर ने विद्युत प्रभार पर ` 1.04 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

राज्य बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कर्मकार कल्याण उपकर की संग्रहीत की गयी राशि ` 3.84 करोड़, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित नहीं की गई।